न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78 / 2017

1 श्रीमती संतरा पत्नी श्री महीपाल जाति अहीर उम्र 58 साल निवासी ढाणी कुम्भावास डाकखाना बहोडा कलां तहसील फरूखनगर जिला गुड़गांव हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 राकेश पुत्र सोहनलाल जाति माली उम्र 38 साल निवासी वार्ड नम्बर 18 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक
3 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र भार्गव आरएएस मुकदमा नम्बर 195 / 2015 उनवान राकेश बनाम संतरा वगै. बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अजय स्वामी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 195/2015 में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 227, 231 वाके ग्राम कासनी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी राकेश कुमार ने विचारण न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत रूप से प्रार्थीया का पता कासनी का दर्ज कर ग्राम कासनी में प्रार्थीया के नोटिस प्रेषित करवाये गये है जबकि प्रार्थीया का ग्राम कासनी में कोई मकान नहीं है ना ही वोटर लिस्ट में नाम है ना कोई राशन कार्ड है बल्कि प्रार्थीया हमेशा से ढाणी कुम्भावास तहसील फरूखनगर जिला गुडगांव में निवास करती है, इस प्रकार वादी राकेश द्वारा गलत रूप से गलत पते पर नोटिस प्रेषित कर प्रार्थीया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा चस्पांदगी से तामील करवाये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था बिना आदेश के तामील कुनिन्दा द्वारा गलत रूप से तामील चस्पांदगी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर(कैम्प झुन्झ

से किए जाने का तामील नोटिस पर अंकन किया है तथा तामील नोटिस पर जो चस्पांदगी से तामील करवाये जाने का अंकन कर रखा है वह भी विधिनुसार नहीं है। जमीन खसरा नम्बर 227 रकबा 1.91 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 231 रकबा 1.95 हैक्टेयर कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर में प्रार्थीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से प्रार्थीया को खसरा नम्बर 227 रकबा 1.91 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया गया है इस प्रकार प्रार्थीया को उसके हिस्से की जमीन से कम जमीन दी गई है तथा राकेश को ज्यादा जमीन दी गई है तथा प्रार्थीया दोनों खसरा नम्बर की जमीन में प्रत्ये कमें आधे आधे हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जानी चाहिए थी, जो ना कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2015 के अनुसार तहसीलदार सूरजगढ़ को पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था जिसकी पालना नहीं की गई है तथा गलत रूप से मौके की सही एवं वास्तविक स्थिति दर्शाये बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। खसरा नम्बर 227 एवं 231 की अलग अलग जमीन है जिनका अलग अलग रकबा है, प्रार्थीया को पीछे की जमीन देने के उद्देश्य से राकेश ने गलत रूप से गलत तथ्य अंकित करते हुए दावा पेश किया है, विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार प्रार्थीया को खसरा नम्बर 227 का खातेदार घोषित किया गया है जिसके कोई रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 231 से कम जमीन है जबकि प्रार्थीया दोनों खसरा नम्बर की जमीन में बराबर बराबर की जमीन की खातेदार काश्तकार है इसलिए विचारण न्यायालय को दोनों खसरा नम्बर में से प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित करना था जो ना कर विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। वादी राकेश द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं के या किसी अन्य गवाहान के ना तो बयान करवाये गये है ना ही शपथ पत्र पेश किया गया है ना कोई दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है इसलिए साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा किसी प्रकार साबित नहीं माना जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झनूं

सकता, जबकि वादी को अपना वाद पत्र साबित करना था, वादी को अपने पैरों पर खड़े होना होता है इसलिए वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के समर्थन में वादी को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी, बिना साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा साबित होना नहीं माना जा सकता ना ही डिक्री पारित की जा सकती है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.10.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.10.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट द्वारा इस प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुनकर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर